न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 53/2023**(GCMS : **2023/70**)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **मात्रिशक्ति मिल्क डायरी नजदीक शिवबाड़ी मंदिर**, वार्ड नं. 22, नजदीक दाता फ्लोर मिल, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर पिन–335804
2. **सीताराम** पुत्र श्री हरजीराम निवासी वार्ड नं. 22 नया, शिव बाड़ी मंदिर के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर–335804
3. **श्रीमती कमला** पत्नी रामपाल (हरजीराम) निवासी वार्ड नं. 22, शिव बाड़ी मंदिर के पास, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर पिन–335804
4. **हरजीराम** पुत्र श्री बिरबलराम निवासी वार्ड नं 22, शिव बाड़ी मंदिर के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन–335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मात्रिशक्ति, सीताराम, कमला एवं हरजीराम को ऋण सुविधा के रूप में राशि 8.40/–लाख रूपये (अखरे रूपये आठ लाख चालीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 31.08.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी हरजीराम की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 350, वार्ड नं. 7 (नया वार्ड नं. 22) (क्षेत्रफल 990 सक्वेयर फुट), नजदीक शिव मंदिर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मात्रिशक्ति, सीताराम, कमला एवं हरजीराम को 8.40/– लाख रूपये (अखरे रूपये आठ लाख चालीस हजार मात्र) का ऋण दिनांक 31.08.2019 प्रदान की थी, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **हरजीराम की**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.09.18 15:30:05 IST
Reason: SelfAttested

अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 350, वार्ड नं. 7 (नया वार्ड नं. 22) (क्षेत्रफल 990 सक्वेयर फुट), नजदीक शिव मंदिर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 13.11.2012 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी. ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.11.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 18.11.2022 को ही भिजवाये जाना अंकित है एवं दो समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाये गये है। अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके **अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी हरजीराम की **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 350, वार्ड नं. 7 (नया वार्ड नं. 22) (क्षेत्रफल 990 सक्वेयर फुट), नजदीक शिव मंदिर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.11.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.11.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण **दिनांक 18.11.2022 को**

Signature Not Verified
Digitally signed by AnshDeep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:05 IST
Reason: SelfAttested

ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस का प्रकाशन इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.12.2022 को करवाया है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी हरजीराम के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **हरजीराम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 350, वार्ड नं. 7 (नया वार्ड नं. 22) (क्षेत्रफल 990 सक्वेयर फुट), नजदीक शिव मंदिर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)